

Form No. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)



आज दिनांक सुक्रवा 31.0.देशराज सोनी सा. 53HR नायब तहसीलदार राजरख श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर  
 परकार कनाम सुक्रवा 31.0.देशराज सोनी सा. 53HR  
 किस्त मुकदमा राज. उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं 70 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियंत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
5/1/2018	<p>पटवारी हल्का <u>12 B.L.M.A</u> ने रिपोर्ट पेश                      कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>12 B.L.M.A</u> के                      मुरब्बा नं. <u>215</u> के <u>416</u> के <u>0-379</u> बीघा, भूमिरकबा                      राज है जिस पर श्री <u>सुक्रवा</u>                      पुत्र श्री <u>देशराज</u>                      जाति <u>सोनी</u> सा. <u>श्री विजयनगर</u> ने                      अतिक्रमण कर सम्वत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u>                      नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप                      निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की                      जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये                      नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क                      करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/02/2018</u> को पेश है।</p>	<p>गैरत फमान 99  <u>25/1/18</u>                      कुर्की आदेश फमान                      100  <u>25/1/18</u></p>
20-2-10	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को                      अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई                      निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

31/5/18

पचावली उत्तर 32 P.L. 12/5/18  
शाय निवासी उत्तर की गई लकीर  
बोलीवता अक्का सिटवा कम जिह राफगा/व्य

साठ डकवार की 100/- रु की रडी उम्त  
बोली लीमा की गई P.L. शाय निवासी शरी  
परिचय चालात त 53 कि 31/5/18 शाय राफगा/व्य  
मे पमा कवा दी गई है जो शफिर मितर के  
एवं माग लेवा इले की जवे पठानी इव्वन शाय  
अतिमा के वेदावत कर कठला बडक निव्वत  
उत्तर कट मिथा गया है पचावली के शेष कार्य  
अपेक्षित नही है पचावली फातवा हुमा डोनर  
दागिर दफतर है।

घरजिस्टर की पृष्ठ सं. 43... क्र.सं. 2  
दिनांक 16.5.18 राशि 150... दर्ज किया।



राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक सं० ..... 70/18 ..... वर्ष .....

राजस्थान सरकार बचनाव ..... सुभाष दा० देशराज जाति सोनी सा श्री विजयनगर .....  
 स्वीकारण दिनांक ..... 25-1-18 ..... निर्णय दिनांक ..... 20-2-18 .....

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम हुकम या कार्यावाही का इतिशायल्स जज पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया

0-2-18 पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2074 रकबा में भूमि रकबा राज दर्ज है।  
 अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का ..... 12B1mA ..... का प्रतिवेदन दिनांक ..... 25-1-18 ..... को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी ..... सुभाष ..... पुत्र ..... देशराज ..... जाति ..... सोनी ..... निवासी ..... श्री A.A. राजगौर ..... को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 12B1mA मु.नं. .... 215/416 .. कुल ... 0.379 ..... है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का ..... 10 ..... गुणा राशि ..... 303/- ..... शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 ..... 30/- ..... 12B1mA को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बंदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।  
 निर्णय आज दिनांक ..... 20-2-18 ..... को लिखवाया जाकर सुनाया गया।  
 तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर  
 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं ..... 44 ..... की क्रम सं. .... 11 ..... दिनांक ..... 12-3-18 ..... को ..... 30 ..... दर्ज किया गया।  
 ता० रा० ले०